रा0रा0 श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर बैंच इंदौर म0प्र0

R. 3616- PBR/14

नर्मदाबाई पति गुलाबसिंह मस्कारा

निवासी ग्राम कैलोदकरताल तहसील व जिला इंदौर ..रिवीजनकर्ता

विरुद्ध

1) जयराम पिता रामाजी

निवासी ग्राम दतौदा तह. महू जिला इंदौर म0प्र0

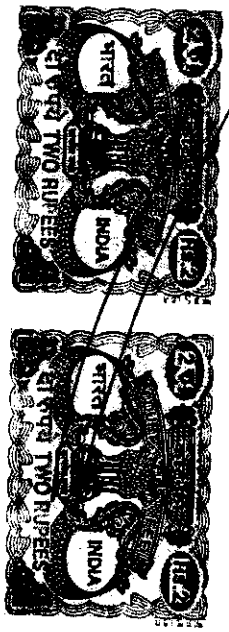

2) देवकरणपिता रामाजी

निवासी ग्राम दतौदा तह. महू जिला इंदौर

3) मोतनबाई पति रामाजी

निवासी ग्राम दतौदा तह. महू जिला इंदौर

4) मेसर्स आनंदसागर रियल स्टेट प्रा0लि0

तर्फे डायरेक्टर बर्जिन्दरसिंह पिता दौलतराम छाबडा

निवासी आनंदसागर फार्म हाउस क्वीन कॉलेज के पास

लिम्बोदी तह. व जिला इंदौर म0प्र0 .. प्रतिप्रार्थीगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत

प्रार्थी/रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजन याचिका अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अंबिकानगर महू के द्वारा प्र.क्र. 37/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 से पीड़ित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

27/10/14
Noted
28/10/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 3616–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–8–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र एवं व्यवहार न्यायालय में प्रचलित मामला एक समान है और व्यवहार न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः प्रश्नाधीन भूमियों के स्वत्व के प्रश्न को देखते हुये तहसीलदार को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदाय करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, तहसीलदार को पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालय के विरूद्ध कोई स्थगन नहीं दिया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति देना चाहिये थी, क्यों कि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में स्वत्व का प्रश्न	

निहित है, जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर व्यवहार न्यायालय को है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष